संख्या-2440/ई-1/तेरह-21-2044/17

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त, उ.प्र.,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021

विषय :- मा. उच्च न्यायालय में लम्बित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2920/ई-1/तेरह-2019-2044/17, दिनांक 14.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से निर्गत अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय), उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-7/2018/510/सात-न्याय-अनु.प्रको./2018, दिनांक 25.09.2018 के प्रस्तर-4(1) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में, जिन रिट याचिकाओं/ निदेश याचिकाओं के प्रस्तर शासन से सम्बन्धित हैं, उनके नेरेटिव/ प्रस्तरवार आख्या/ लिखित विवेचन पर अनुमोदन/ हस्ताक्षर हेतु विशेष सचिव, आबकारी विभाग को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।